

पेश किया जो शीघ्र पंजीकृत  
20.8.24 को पेश हो।

13.8.24

वकील उज्जयान्त झा द्वारा मूलकाद के साथ  
पेश हुई मूलकाद साथलाग द्वारा लिखी किताब  
जो मुकादी साथलाग में कथन किताब  
कि वह प्रार्थना पत्र आगे नहीं चलाना चाहे

Handwritten signatures and notes on the right margin.

है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 1 के  
प्रवधानों के अन्तर्गत मूलवाद के साथ प्रत्यक्ष और  
विशेष करने की अनुमति दी जाती है एवं प्रत्यक्ष  
212 शासक स्वयंसेवक (जिसका नाम है) पर्याप्त  
कमलेश्वर आर्य सेवक संचालन मूलवाद रहे।

2.  
सहायक कलक्टर मृदुला  
भोलपुर (राज.)